

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजसव, भादरा
(पीठसीन अधिकारी प्रशासन गांव के रांग/कैम्प कोर्ट)
पीठसीन अधिकारी :- शकुन्तला चौधरी आर० ए० एस०

उन्वान

राजेन्द्र पुत्र दीवानचन्द उर्फ दीवान
सिंह जाति जाट निवासी शोवासा
हठ - भादरा
दावा बाबत :- 88 R.T.D.4
मुकदमा नम्बर :- 163/21
निर्णय दिनांक :- 03.11.21

बनाम

1. दीवानचन्द उर्फ दीवानसिंह
पुत्र हुम्मीराम
2. राजेन्द्र पुत्र दीवानसिंह
3. राजबाला पुत्री दीवानचन्द उर्फ दीवानसिंह
4. R.M.B. शाखा भादरा
5. राजबाला मरका जति R.D.R. भादरा

वादी की ओर से वकील राजेश बेहरा की व प्रतिवादीगण की ओर से
वकील दीवानसिंह की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 03.11.21 को

भूख शकुन्तला चौधरी उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश

दिया जाता है कि राजेश गौजा 1 बीएचडी के खासत 39/42 के मुंन 41

के किला नं 15, 16, 17, 24, 25 कुल 1.2650 है बही मुंन 42

के किला नं 1, 11, 13, 18 व 23 की कुल 3.7950 है

की मुंन 49 किला नं 1, 2/1, कुल 0.3800 है मुंन 50

किला नं 4 व 7 कुल 1.0120 है एत प्रकर कुल किला 26 की

कुल 6.4520 है, बही 6.3770 है, गैर मुंन खासा

0.0750 है खातेदारी में परिवारी स 1 के नाम 1/2 हिस्सा

राजसव रिगर्ड में दर्ज है में परिवारी स 1 दीवानचन्द

उर्फ दीवानसिंह का नाम हुम्मीराम का वारी राजेन्द्र व

परिवारी स 2 राजेन्द्र मो वरिष्ठा बतबर के खातेदारी मरका

धोबिरा किये जाते हैं परिवारी स 1 व 2 के अपता एक हिस्सा

बाकी व परिवारी स 2 के पत्र में भाग का शुब्य का सिपा है शामिल

भाग किये गिसे वर निमानुसार साम्य इसी अर्थ करने व

इसी भूमि लेन के रदन है से रदन मुम्ह दोरेप्य उपरोक्ता कुसल

राजसव रिगर्ड में अंरुन किये जावें।

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 3.11.21 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।


शकुन्तला चौधरी

(आर० ए० एस०)

उपखण्ड अधिकारी भादरा

हनुमागढ़